



Neutral Citation-2026: AHC:20423

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 3136 / 2026

दिनेश चौहानयाचिकाकर्तागण
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: महेंद्र नाथ पांडे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या T5905 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T2024143060605905) का शीघ्रता से निपटारा करें।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय एक समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार दाखिल खारिज के निर्विवाद मामलों का निर्णय मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे, और दाखिल खारिज के विवादित मामलों का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे; और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण अभिलिखित किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और कानून के अनुसार, पूरी तत्परता से—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर—उसका निपटारा उसके अपने गुण-दोष के आधार पर करें; बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो, और इस प्रक्रिया में अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडेया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"